



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2703544

फैक्स नं: 0141-2701822

क्रमांक:-रास्कृशिप/जय/संस्था-2/विधिघ पार्ट फाईल/2019-20/11507

दिनांक 20/3/2020

कार्यालय आदेश

राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 19.03.2020 द्वारा राज्य के आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त शेष विभागों में आंशिक शट डाउन दिनांक 31.03.2020 तक किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे एवं 50 प्रतिशत कार्मिक घर पर रहेंगे, जो कार्मिक घर पर रहेंगे वे "Work from Home" सुनिश्चित करेंगे। घर से कार्य कर रहे ऐसे कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में कभी भी बुलाया जा सकता है अथवा अन्य कार्य आवंटित किया जा सकता है।

उक्त आदेश के क्रम में परिषद् मुख्यालय के समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन राजकीय कार्य दिवस में अपने स्तर पर प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों में से 50 प्रतिशत को कार्यालय में उपस्थित होने तथा शेष 50 प्रतिशत को "Work from Home" करने हेतु निर्देशित कर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार तुरन्त पालना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)

आयुक्त

रास्कृशिप, जयपुर

दिनांक 20/3/2020

क्रमांक:-रास्कृशिप/जय/संस्था-2/विधिघ पार्ट फाईल/2019-20/11507
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम